UPET120021192015

न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०) जलेसर, एटा

उपस्थित: श्री मोहित कुमार, उ०प्र० न्यायिक सेवा (JO Code-UP 4823)

नया मूलवाद संख्या– 192/2015

(प्राचीन नम्बर– 775/1996)

1– गनपति सिंह पुत्र मुरली सिंह **(मृतक दौरान वाद)**

1/1– डम्बर सिंह पुत्र स्व० गनपति सिंह **(मृतक दौरान वाद)**

1/1/1– इन्द्रवती पत्नी स्व० डम्बर सिंह

1/1/2– प्रमोद कुमार पुत्र स्व० डम्बर सिंह

1/1/3– सत्यवीर पुत्र स्व० डम्बर सिंह

निवासीगण– निधौली रोड चौंचा वनगाँव एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।

1/1/4– प्रवेश कुमारी पुत्री स्व० स्व० डम्बर सिंह पत्नी श्री सुधीर

निवासी– ग्राम कवार परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।

1/2– रामपाल पुत्र स्व० गनपति सिंह

1/3– भूप सिंह पुत्र स्व० गनपति सिंह

निवासीगण– ग्राम मितरौल परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा।

1/4– रेशमा पत्नी अजयपालसिंह पुत्री श्री स्व० गनपति सिंह

निवासी नगला लीलाधर डा० पिदौरा परगना मारहरा तहसील व जिला एटा।

1/5– मनोरमा देवी पत्नी सत्यवीर सिंह पुत्री स्व० गनपति सिंह

निवासी– नगला कंचन, डा० एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।

1/6– सावित्री देवी पत्नी स्व० गनपति सिंह

निवासी– ग्राम मितरौल, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा। **(दौरान वाद मृतक)**

2– डम्बर सिंह पुत्र स्व० गनपति सिंह

3– रामगोपाल सिंह पुत्र स्व० गनपति सिंह

निवासीगण– मितरौल परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा।

.... वादीगण

–बनाम–

1– रोशन सिंह पुत्र हरी सिंह **(मृतक दौरान वाद)**

1/1– अमर सिंह पुत्र रोशन सिंह

1/2– नरेन्द्र सिंह पुत्र रोशनसिंह

निवासीगण– मोतरौल परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा

1/3– श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री नगेन्द्र सिंह हाराजी बाबा लालाराम (मृतक दौरान वाद)

निवासी– लव कुश नगर कासगंज प० विलराम जिला एटा।

2– छेदालाल पुत्र रोशन सिंह

3– मुन्नालाल पुत्र रोशन सिंह

4– अनार सिंह पुत्र रोशन सिंह

निवासीगण मितरौल परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा।

..... प्रतिवादीगण

–निर्णय–

1– प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र में वर्णित प्रश्नगत मकान भूमि संख्या 374 व 375 में स्थिति, जिसे वाद पत्र के अन्त में नक्शा नजरी ब, स, य, र से दर्शाया गया, पर स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

2– संक्षेप में **वादपत्र** के तथ्य निम्न प्रकार है कि वादीगण का एक किता मकान स्थित ग्राम मितरौल तहसील जलेसर जिला एटा जिसकी वादपत्र के अन्त में दिये हुए नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द से दर्शाया है, के मालिक व अध्यासित है। यह मकान भूमि संख्या374 व 375 में स्थित है और प्रतिवादीगण का इस मकान से कोई वास्ता या सरोकार नहीं है। इसी भूमि में प्रतिवादी सं० 1 व इसके पुत्रगण का मकान उक्त मकान से पूर्व में बना हुआ है। उपरोक्त मकान वादीगण का भूमि संख्या 374 व 375 स्थित ग्राम मितरौल तहसील जलेसर में वादी सं० 1 द्वारा लगभग 45 वर्ष पूर्व बनाया गया था, जिसमें दो कमरे व एक छप्पर व एक चबूतरा तथा सहन स्थिति है सहन में वादीगण के मवेशी बांधने के लिए नादें, चबूतरे के सहारे बनी हुई है तथा चबूतरे के ऊपर कुटी की मशीन व मशीन चलाने के लिए एक इन्जन लगा हुआ है। ग्राम मितरौली में वादी सं० 1 की ससुराल है और वादी सं० 2 व 3 की ननिहाल है और वादी संख्या 2 व 3 की उपरोक्त भूमि जो कि

उनके नाना तोताराम की मिल्कयत थी विरासतन अपनी नानी श्रीमती भवानी विधवा तोताराम से प्राप्त हुई है। श्रीमती भवानी के देहान्त के पश्चात ग्राम मितरौल में आकर रहने लगे और उपरोक्त मकान तामीर करके उसमें निवास करने लगे और उस समय से निरन्तर वादीगण का ही उपरोक्त मकान पर अध्यासन चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादीगण के अध्यासन उपरोक्तमकान पर कुछ हस्तक्षेप करने लगे थे। अतः वादी संख्या 1 ने एक वाद सं० 104 सन् 1989 गनपति सिहं बनाम रोशन सिंह आदि बावत स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय मुंसफी एटा में प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 08.10.1992 निर्णय हुआ और वादी सं० 1 का उपरोक्त मकान पर अध्यासन न्यायालय द्वारा करार पाया गया, परन्तु न्यायालय ने यह कहते हुए कि वादी सं० 1 का नाम उपरोक्त भूमि में अंकित नहीं है और चूँकि वादी का मकान कृषि भूमि में बना हुआ है। अतः वादी संख्या 1 का उक्त वाद निरस्त कर दिया गया। वाद संख्या 104 सन् 1989 में निर्णय होने के पश्चात वादी संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि में एक सहखातेदार श्याम विहारी लाल पुत्र किशनलाला से दि० 14.07.1995 को विक्रय पत्र तहरीर करा लिया और जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 15.7.1995 को हुई, जिसके आधार पर वादी सं० 1 का नाम भू अभिलेखों में भी अंकित हो चुका है और इस प्रकार वादीगण भू अभिलेखों में इस समय अंकित है और उपरोक्त भूमि स्थित मकान के मालिक और अध्यासित हैं। प्रतिवादीगण वाद संख्या 104/89 को निर्णय के पश्चात अपने फैल वैजा से वाज नहीं आ रहै है और बराबर वादीगण की उपरोक्त वादीगण के मकान से बेदखल करने की वादीगण के अध्यासन में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे हैं और वह विला न्यायालय की निषेधाज्ञा के अपने फैल वैजा से बाज नहीं आवेगें। अतः मजबूरन वादीगण को यह वाद न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वाद का कारण दिनांक 13.10.96 योम प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अध्यासन में हस्तक्षेप करने की धमकी देने से ग्राम मितरौल तहसील जलेसर जिला एटा में प्रस्तुत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ और न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन वादीगण के मकान व भूमि के अनुमानित बराजारू मूल्य 2100/– रुपया पर कायम किया जाता है और न्यायशुल्क वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा मुव० 2100/– के 1/5 भाग मुव० 420 रुपया पर मुव० 53 रुपया अदा किया जाता है।

3– प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से प्रतिवाद पत्र 20 ए1 दाखिल कर कथन किया है कि दावा वादीगण कतई गलत व खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्यात है।

वादीगण को वाद का कोई कारण पैदा नहीं हुआ है इस आधार पर भी वादीगण का दावा मेन्टेनेवल नहीं है। विवादित सम्पत्ति का मूल्य किसी भी प्रकार 30,000/– रु० से कम नहीं है। वादीगण का दावा अल्प एवं न्यून मूल्यांकित है तथा वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क भी अपूर्ण एवं न्यून है इस न्यायालय को वादीगण के वाद को श्रवणाधिकार क्षेत्र हासिल नहीं है। विवादित तामीरात गाटा सं० 374 रकवा 0.04 एकड़ एवं गाटा सं० 375 रकवा 0.12 एकड़ में स्थित है। गाटा सं० 374 एवं 375 भू अभिलेखों में अंकित है और उन पर लगान कायम है। उपरोक्त गाटों की बावत धारा 143 ज०वि० अधि० के अन्तर्गत घोषणा नहीं हुई है और उपरोक्त गाटा कृषि भूमि की श्रेणी में आता है। अतः वादीगण को वाद में धारा 331 ज०वि० अधि० बाधित है। विवादित भूखण्ड पर स्थिति तामीरात वादीगण द्वारा निर्मित नहीं है और वादीगण हरगिज उनके मालिक या काबिज कभी नहीं रहे और न इस समय है। उपरोक्त गाटों पर स्थिति समस्त तामीरात हम प्रतिवादीगण की है और प्रतिवादीगण द्वारा निर्मित है जिनके मालिक व काबिज हम प्रतिवादीगण चले आ रहे हैं। वादीगण के दावा में विशेष अनुतोष अधिनियम की धारा 34 व 41 बाधित है। दावा में मुन्ना लाल प्रतिवादी नं 3 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है तथा दावा में श्याम बिहारी, हेतराम, सूरजपाल, खजान सिंह पुत्रगण किशन लाल तथा नेम सिंह आदि पुत्रगण ग्यान सिंह को पक्ष मुकदमा नहीं बनाया है जबकि वे आवश्यक पक्षकार है। अतः वादीगण को दावा में आवश्यक पक्ष न बनाये जाने एवं अनावश्यक पक्ष बनाये जाने का दोष है। मौजा मितरौल में चकबंदी हो चुकी है। वर्तमान गाटा सं० 374 एवं 375 के क्रमशः पुराने गाटा सं० 358/2 व 357 थे। वादीगण ने उक्त गाटों के किसी जुज को तन्हा क्लेम करने की आपत्ति नहीं की थी। अतः वादीगण के दावा में धारा 49 चकबंदी अधिनियम से बाधित है। उपरोक्त गाटा सं० 374 व 375 की मालिक व काबिज पेश्तर चकबंदी श्रीमती शोभा विधवा टोडी व श्रीमती भवानी विधवा तोताराम थी और दोनों का उपरोक्त गाटों में एवं अन्य गाटों में आधा–2 भाग था। श्रीमती शोभा ने अपने 1/2 भाग का बैनामा रोशन सिंह प्रतिवादी के नाम तहरीर व तकमील व रजिस्ट्री कर दिया था और 1/2 भाग का मालिक व काबिज प्रतिवादी रोशन सिंह हुआ। श्रीमती भवानी की मृत्यु हो गयी उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी उसके सगे धेवते छेदालाल व अनार सिंह व केन्द्रपाल पुत्रगण रोशन सिंह व डम्बर व रामपाल पुत्रगण गनपति एवं श्याम बिहारी व ग्यान सिंह व हेतराम व सूरजपाल व खजान सिंह पुत्रगण किशन लाल हुए और इन सबका विवादित गाटों में प्रत्येक का 1/20, 1/20 अंश मय अन्य कृषि भूमि के चकबंदी में करार दिया गया। केन्द्रपाल की मृत्यु हो गयी

और उसका 1/20 भाग रोशन सिंह प्रतिवादी को विरासत मिला। ग्यान सिंह की भी मृत्यु अरसा करीब 12 साल पूर्व हो गयी थी उसके उत्तराधिकारी नेम सिंह, शंकर पाल, पप्पू एवं शशिपाल पुत्रगण ग्यान सिंह है। इस प्रकार शोभा व भवानी वाली सम्पत्ति में रोशन सिंह प्रतिवादी का 1/20 भाग व छेदालाल का 1/20 भाग व अनार सिंह का 1/20 भाग और वादी डम्बर सिंह का 1/20 भाग व रामपाल का 1/20 भाग तथा किशनलाल की औलाद का मिलकर 5/20 भाग हुआ। वादीगण एवं किशनलाल के लड़कों का कुल मिलकर 7/20 भाग शोभा व भवानी की कृषि भूमि में करार दिया गया था। शोभा व भवानी की किसी भी सम्पत्ति का मालिक व काबिज या हिस्सेदार गनपति सिंह वादी नहीं रहा है। चकबंदी व चकबंदी से पूर्व विवादित गाटा 374 व 375 की भूमि पर हम प्रतिवादीगण अपने मवेशी आदि बांधते थे और बतौर आवादी प्रयोग करते थे इस कारण उक्त गाटों की भूमि को बाहर चकबंदी कर दिया गया था। बाद चकबंदी उक्त दोनों गाटों की भूमि का अरसा करीब 15 साल का हुआ आपसी बटवारा हुआ और उपरोक्त गाटों की 0.16 डे०मि० भूमि में पूरव तरफ की लगभघ 0.10 डे०मि० भूमि हम प्रतिवादीगण को मिली और पश्चिम तरफ की लगभग 0.06 डे०मि० भूमि डम्बर, रामपाल वादीगण संख्या 2 व 3 एवं श्याम विहारी गयान सिंह, हेतराम, सूरज पाल व खजान सिंह को मिली थी और उक्त घरेलू व आपसी बटवारे के बाद ही प्रतिवादीगण ने उक्त गाटों में पूरव तरफ की लगभग 0.10 डे०मी० भूमि पर अपनी तामीरात कर ली है तथा विरासत भूखण्ड पर की गयी तामीरात के मालिक व काबिज हम प्रतिवादीगण लगातार चले आते हैं। उक्त गाटों की पश्चिम ओर की 0.06 डे०मि० भूमि जो डम्बर सिंह व रामपाल सिंह तथा श्याम विहारी आदि को घरेलू व आपसी बटवारा में मिली थी वह मौका पर खाली पड़ी है, जिसे वादीगण ने वादपत्र के अंत में दिये गये नक्शा नजरी में अक्षर अ, द, य, र से घिरा दर्शाया है और घरेलू व आपसी बटवारा के अनुसार डम्बर सिंह व रामपाल सिंह व श्याम विहारी व उसके भाई अक्षर अ, द, य, र से घिरी सम्पत्ति के मालिक व काबिज है, जबकि अक्षर अ, ब, स, द से घिरी विवादित सम्पत्ति व तामीरात आदि के एवं उससे पूरव ओर स्थिति मकान के मालिक व काबिज हम प्रतिवादीगण है। अक्षर अ, ब, स, द से घिरी विवादित भूखण्ड व तामीरात से चुपटे पूरव ओर के मकान में हम प्रतिवादीगण परिवार सहित रहते है और अक्षर अ, ब, स, द से घिरे भूखण्ड व उस पर स्थित तामीरात के मालिक व काबिज प्रतिवादीगण है और विवादित भूखण्ड पर दो कमरे कच्चे व छप्पर पर लढावनी, खूटे आदि हम प्रतिवादीगण के है और हम प्रतिवादी अपने मवेशी बांधते चले आ रहे है तथा विवादित भूखण्ड पर हम प्रतिवादीगण की एक कुटी की

मशीन मार्का केहरी सिंह व शंकर सिंह ब्रादर्श कम्पनी एवं एक इंजन हिन्दुस्तान नंबर 2277 है जो हम प्रतिवादीगण के खरीदे हुए है। वादीगण का कोई संबंध अथवा किसी प्रकार का कब्जा विवादित भूखण्ड व उस पर स्थित तामीरात एवं इंजन कुटी की मशीन, लढावनी नाँदे आदि से कभी नहीं रहा है और वादीगण विवादित भूखण्ड अथवा उस पर स्थित तामीरात व इंजन व लढावनी व कुटी की मशीन आदि के मालिक व काविज कभी नहीं रहे हैं। वादीगण का यह कथन सरासर गलत है कि विवादित भूखण्ड पर उन्होंने तामीरात अरसा करीब 45 साल पूर्व की थी। उनका यह कथन भी गलत है कि वे कुटी की मशीन व इंजन के मालिक है। वादीगण का यह कथन भी गलत है कि वे विवादित भूखण्ड पर अपने मवेशी बांधते है। वादीगण विवादित भूखण्ड पर हम प्रतिवादीगण का कब्जा व देखते चले आ रहे है और घरेलू बटवारा रजामन्दी से हुआ था। अतः वादीगण के खिलाफ मसला estople एवं Acqueincence आरिज है। वादीगण ने जो नक्शा नजरी अर्जी में दर्शाया है वह दोषपूर्ण भावना से गलत दिया है। विवादित भूखण्ड अक्षर र, अ, ब, से उत्तर ओर चिपटा रास्ता नहीं है और न आम रास्ता है। बल्कि वह भूमि भी गाटा नंबर 374 व 375 की है। रिपोर्ट कमीशन वादीगण से साजिश करके खिलाफ मौका दी गयी है, जिसेक खिलाफ हम प्रतिवादीगण ने अलग से आपत्ति की है। वादी गनपति सिहं ने एक दावा नंबर 104/89 गनपति सिंह बनाम रोशन सिंह आदि विवादित भूखण्ड की बावत कतई झूठे व मनगढंत तथ्यों के साथ न्यायालय मुंसिफ एटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो न्यायालय चतुर्थ अपर मुंसिफ एटा ने दिनांक 08.10.92 को खारिज कर दिया। इस निर्णय दिनांक 08.10.92 के विरुद्ध वादी गनपति सिंह ने दीवानी अपील संख्या 62 स/92 गनपति सिंह बनाम रोशन सिंह आदि दायर की थी जो दिनांक 28.11.96 को स्वीकृति हुयी थी जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण मूल वाद सं० 775/96 में रोशन सिंह आदि ने द्वितीय अपील संख्या 138 सन् 1997 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत की जिसमें विवादित सम्पत्ति गाटा सं० 374/0.04 व 375/0.12 के सम्बन्ध में अग्रिम आदेश तक स्टे कर दिया गया है जिसकी जानकारी गनपति सिंह आदि को है। उसके बाद भी यह मुकदमा पुनः उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्णय कराने हेतु प्रस्तुत किया है जो किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है। क्योंकि दावा वादीगण प्राह्न्याय के सिद्धान्त (धारा 10, 11 जा०दी०) से बाधित है। साथ ही दावा धारा 331 ज०वि० अधि० से बाधित है। इसलिए मुकदमा यथास्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि न्यायालय को धोखा देकर गलत आदेश पारित चाहते हैं। वादीगण का यह कहना सरासर गलत है कि मु०नं० 104/89 में विवादित

भूखण्ड पर कब्जा गनपति सिहं का माना जा चुका है। यदि वादीगण ने कोई बैनामा दोषपूर्ण भावना से विवादित भूखण्ड का शायम विहारी लाल से दिनांक 14.7.95 को करा लिया है तो वह साजिशी जाली व फर्जी, अवैधानिक, विला मुआवजा व कानूनन शून्य है और कथित बैनामा का कोई प्रभाव हम प्रतिवादीगण के हकूक पर नहीं है। विकल्प में यदि किसी प्रकार गाटा संख्या 374, 375 का घरेलू व आपसी बटवारा राय अदालत में न माना जावे तो भी वादीगण को दावा बावत हुक्म इम्तनाई दवामी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और वादीगण को दावा बटवारा कराना चाहिए था। इस आधार पर भी वादीगण का दावा मेन्टेनेविल नहीं है। हम प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति के मालिक व काबिज है और वादगीण का किसी प्रकार का कब्जा विवादित सम्पत्ति पर नहीं है। अतः दिनांक 13.10.96 का प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवादित सम्पत्ति की बावत वादीगण का किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में नहीं है। वादीगण विवादित सम्पत्ति के मालिक व काबिज नहीं है और न किसी प्रकार का कोई क्षति है। विवादित सम्पत्ति के मालिक व काबिज हम प्रतिवादीगण है और प्रतिवादीगण का प्रथमदृष्टया केस है। सुविधा का सन्तुलन हम प्रतिवादीगण के पक्ष में है। यदि हम प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी प्रकार का हुक्म इम्तनाई जारी किया गया तो हम प्रतिवादगीण की अपार अपूर्तिनीय क्षति होगी। मुकदमा नंबर 104/89 गनपति सिंह बनाम रोशन सिंह आदि में दायरा से पहले हम प्रतिवादीगण ने वादी गनपति सिंह को विवादित सम्पत्ति के चप्पर में सिलाई की मशीन चलाने के लिए बैठने की आज्ञा दे दी थी। परन्तु उसने दोष पूर्ण भावना से मु०नं० 104/89 झूठे तथ्यों के साथ दायर कर दिया था और कुछ दिन के बाद ही हम प्रतिवादीगण ने वादीगण गनपति सिंह को विवादित सम्पत्ति पर नहीं बैठने दिया और न मशीन चलाने दी। वादीगण का साज श्याम विहारी एवं हम प्रतिवादीगण के रंजीदा लोगों से है और वादीगण ने कतई झूठे व मनगढंत तथ्यों के साथ हम प्रतिवादीगण को महज तंज व परेशान करने की नियत से यह दावा दायर किया है। जो मेन्टेनेविल नहीं है और हम प्रतिवादीगण वादीगण से विशेष हर्जा अन्तर्गत धारा 35 ए ज०दी० पाने के अधिकारी हैं। डम्बर सिंह व रामपाल सिंह वादीगण गांव में नहीं रहते हैं और वह बाहर नौकरी करते हैं। वादीगण का दावा विधि अनुकूल फ्रेम्ड नहीं है। वादीगण हम प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर वादीगण का दावा पूर्ण रूप से निराधार है और व्यय सहित खारिज होने योग्य है।

4–   वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 4 की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र के प्रत्योत्तर में रिप्लीका कागज सं० 31 ए 1 दाखिल कर कथन किया गया कि कथन प्रतिवाद पत्र तोड़ मरौड़ कर प्रस्तुत किया गया है। अतः स्वीकार नहीं है। विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन वाद पत्र में सही किया गया है। कथन प्रतिवाद पत्र खिलाफ इसके कतई गलत है पूर्व वाद संख्या 104 सन् 1989 गनपति सिंह बनाम रोशन सिंह आदि में भी विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन मुव० 2100 किया गया था जो सही माना गया था और उस समय से विवादित सम्पत्ति में कोई भी परिवर्तन इस समय तक नहीं हुआ है। विवादित भूमि तथा उसमें स्थित तामीरात तन्हा वादीगण की है जिससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता या सरोकार नहीं है कथन प्रतिवाद पत्र खिलाफ इसके कतई गलत है। विवादित भूमि में काफी अर्सा पूर्व तन्हा वादीगण ने तामीरात की तथा उससे पूर्व की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ने तामीरात कर ली थी। अतः वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 जुदागाना अपनी अपनी भूमि जिस पर कब्जा करके पृथक रूप से तामीरात की है जुदागाना काबिज है विवादित भूमि में स्थित तामीरात अथवा जमीन से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है और न उनका किसी प्रकार अध्यासन विवादित सम्पत्ति पर है और न उनके मवैशी इस भूमि में बंधते है कथन प्रतिवाद पत्र खिलाफ इसके कतई मिथ्या व मनगढन्त है। भूमि संख्या 374 व 375 का कोई भी घरेलू बटवारा नहीं हुआ है बल्कि इस भूमि में कब्जा के अनुसार वादीगण ने अपनी अध्यासन वाली भूमि में तामीरात की तथा प्रतिवादी सं० 1 ने अपने अध्यासन वाली भूमि पर तामीरात कर ली जिससे अन्य सहखातेदारान का कोई वास्ता या सरोकार नहीं है। मुन्नालाल प्रतिवादी संख्या 3 भी वादीगण के अध्यासन में हस्तक्षेप करता था। अतः उसको पक्षकार बनाया गया है बाद में हरगिज अनावश्यक पक्षकार बनाने का दोष नहीं है। प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अतः जो भी व्यक्ति वादीगण के अध्यासन में हस्तक्षेप करने की चेष्टा कर रहा था उसको पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तर संख्या में कथित श्याम बिहारी आदि से कोई विवाद वादीगण का नहीं है। अतः वह हरगिज वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है और इस प्रकार वाद में कोई भी दोष अवाश्यक पक्षकार न बनाये जाने का नहीं है। प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के विवादित भूमि हिस्सों का निर्धारण नहीं होना है। अतः कथन प्रस्तर संख्या 9 व 10 प्रतिवाद पत्र निर्थक है और उसकी बावत कोई कथन करना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र में विवादित सम्पत्ति का नक्शा नजरी सही मुताबिक मौका अंकित किया गया है। वादीगण ने विवादित सम्पत्ति में कबी भी कोई स्वत्व

अथवा अध्यासन प्रतिवादीगण का होना स्वीकार नहीं किया और न कभी उनका अध्यासन ही रहा है। अतः प्रस्तुत वाद विवंधन व मौन स्वीकृति के सिद्धान्तों से बाधित नहीं है। आख्या अमीन मुताबिक मौका सही है अमीन से कोई साज वादीगण का नहीं है। विवादित भूमि में श्याम विहारी लाल भी सहस्वामी थे और उनकी जानकारी में ही वादीगण ने तामीरात की थी। अतः श्यामविहारी ने स्वेच्छा से ही अपने भाग की भूमि का वादी संख्या 1 के हक में विक्रयपत्र तहरीर कर दिया था। श्यामविहारी लाल द्वारा विक्रय पत्र वहक वादी सं० 1 निष्पादित किये जाने के पश्चात वादी संख्या 1 का विवादित भूमि में भू अभिलेखों के नाम अंकित हो चुका है और इस प्रकार वादी संख्या 1 भी विवादित भूमि का स्वामी है। प्रस्तुत वाद धारा 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधान से बाधित नहीं है, क्योंकि वादीगण का विवादित सम्पत्ति पर अध्यासन है और किसी अन्य अनुतोष को वादीगण को प्राप्त करने की आवश्यकता ही है। वादीगण का नाम भू अभिलेखों में अंकित है और प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी प्राप्त करने की बावत है। अतः विवादित भूमि की धारा 143 यू०पी० जेड०एल०आर० एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत आवादी आवादी घोषित कराये जाने के विधि अनुसार आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार वादीगण का वाद धारा 331 यू०पी० जेड०एल०आर० एक्ट के प्रावधानों से बाधित नहीं है और बावत स्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध बावत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए कोई भी वाद का कारण दौरान चकबन्दी उत्पन्न नहीं हुआ था और न निषेधाज्ञा की बावत कोई भी दादरसी चकबन्दी न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती है और न वादीगण दौरान कार्यवाही चकबन्दी विवादित भूमि का मालिक ही था। अतः वादी नं० 1 को तन्हा विवादित भूमि में स्वंय मालिक घोषित कराने का कोई अवसर नहीं था। अतः प्रस्तुत वाद धारा 49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित नहीं है। वादी संख्या 1 का पूर्व वाद 104 सन् 1989 न्यायालय चतुर्थ अति० मुंसिफ ने निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध वादी संख्या 1 ने अपी संख्या 92 सन् 1992 गनपति सिंह बनाम रोशन सिंह आदि प्रस्तुत की जिसका निस्तारण न्यायालय षष्ठम अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.11.1996 को किया गया और वाद डिक्री किया गया तथा प्रतिवादीगण को बिना न्यायिक प्रक्रिया के अपनाये हुये विवादित मकान से बेदखल करने से तथा वादी के अध्यासन में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध किया गया और यह निर्णय दिया कि विवादित भूमि व उसमें स्थिति तामीरात तन्हा वादी की है तथा उसके अधयासन में है। अतः उपरोक्त निर्णय की पावन्धी पक्षकारों तता प्रस्तुत न्यायालय है और प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के अध्यासन ब

हकूक की बावत मसला रेजूडीकेटा धारा 11 सी०पी०सी० के प्रावधान आरिज है और प्रतिवादीगण का कथन खिलाफ इसके मानने काबिल नहीं है। वादी रामपाल सिंह कस्बा एटा में अपनी नौकरी के सिलसिले में रहता है और जहाँ विवादित सम्पत्ति स्थित है उस ग्राम में बराबर आता जाता रहता है तथा डम्बर सिंह वादी भी विवादित मकान में निवास करता है और नौकरी के सिलसले में बाहर जाता है और कथन प्रतिवाद पत्र खिलाफ इसके कतई गलत है।

5– प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र में संशोधन किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से **रिप्लीका 82 ए1** प्रस्तुत कर कथन किया है कि कथन संशोधित प्रतिवाद पत्र स्वीकार नहीं है और इस प्रकार का कथन केवल वाद के निस्तारण में विलम्ब करने के अभिप्राय से किया गया है। पूर्व वाद सं० 104/1989 गनपत सिंह बनाम रोशन सिंह आदि के पक्षकार तथा वाद का कारण प्रस्तुत वाद के पक्षकार व वाद का कारण भिन्न–भिन्न है। अतः पूर्व वाद के लम्बित होने के कथित कारण के आधार पर प्रस्तुत वाद धारा 10 सी०पी०सी० के प्रावदानों के अन्तर्गत स्थगित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवाद पत्र के संशोधित कथन के अनुसार पूर्व वाद सं० 104/1989 का अंतिम रूप से निस्तारण इस समय तक नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत वाद धारा 11 सी०पी०सी० के प्रावधानों से बाधित नहीं है। पूर्व वाद से सम्बन्धित कथित द्वितीय अपील सं० 138/1997 में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही स्थगित करने की बावत कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः इस आधार पर भी प्रस्तुत वाद की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है। धारा 331 जेड०एल०आर० एक्ट के प्रावधानों से प्रस्तुत वाद बाधित होने की बावत कथन पेश्तर से ही प्रतिवाद पत्र में था और इस कथन की बावत वाद बिन्दु सं० 3 भी विरचित किया जा चुका है, जिसके निस्तारण की बावत प्रस्तुत न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया जा चुका है कि उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण गुण दोष के आधार पर पक्षकारों के साक्ष्य के पश्चात किया जावेगा और न्यायालय के इस आदेश की पुष्टि अपर जनपद न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० द्वारा निगरानी सं० 07/2004 में आदेस दिनांक 29.03.2006 द्वारा की जा चुकी है। अतः पुनः उस वाद बिन्दु पर संशोधित प्रतिवाद के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा विवादित सम्पत्ति आबाजी की आराजी है। अतः धारा 331 जेड०ए०एल०आर० एक्ट के प्रावधानों से वाद बाधित नहीं है।

6– उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.1998 द्वारा निम्न लिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं–

1– क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति जिसको वाद पत्र के नक्शा में ब, स, य, र से दर्शाया गया का तन्हा मालिक व काबिज है।

2– क्या वादी का वाद अल्प मूल्यांकित एवं न्याय शुल्क अपर्याप्त है।

3– क्या वादी का वाद धारा 331 यूपी० जेड० ए० एण्ड एल०आर० के अधिनियम से बाधित है।

4– क्या वादी का वाद धारा 49 उ० प्र० जोत चकबंधी अधिनियम से बाधित है।

5– क्या वादी का वाद विविन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त से बाधित है।

6– क्या वादी का वाद प्रतिवादपत्र के मद सं० 18 के अभिकथन के आधार पर पोषणीय नहीं है।

7– क्या वादी अन्य किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है।

8– क्या वादी का वाद 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है।

7– न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.11.2006 को निम्नलिखित वाद बिन्दु सं० 9 व 10 इस आशय से विरचित किये गये हैंः–

9– क्या वाद धारा 10 सी०पी०सी० के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थगित होने योग्य है ?

10– क्या वाद प्राग्डन्याय के सिद्धान्त से बाधित है ?

8– <u>दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण</u>

<u>फेहरिस्त 10 सी1 से–</u>

(i) एक किता दावा मूल वाद संख्या 104/1989 कागज संख्या 11 सी1/1 लगायत 11 सी1/3

(ii) एक किता बयान तहरीररी मूल वाद संख्या 104/1989 कागज संख्या12 सी1/1 लगायत 12 सी1/3

(iii) एक किता नकल निर्णय मूल वाद संख्या 104/1989 कागज संख्या 13 सी1/1

लगायत 13 सी1/7

(iv) एक किता असल विक्रय पत्र कागज सं० 14 ए 1/1 लगायत 14 ए 1/2

(V) एक किता फर्द खतौनी ग्राम मितरौल कागज सं० 15 सी 1

फेहरिस्त 133 सी1/1 से–

(i) एक किता नकल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वितीय अपील सं० 138 सन् 1997 आदेश दिनांकित 15.07.2022

(ii) एक किता खसरा कागज सं० 133 सी 2

9– मौखिक साक्ष्य वादीगण

मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से साक्षी **पी०डब्लू० 1 के रूप में गनपति सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 90 ए 2, **पी०डब्लू० 2 के रूप में गीतम सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 91 ए 2 एवं **पी०डब्लू० 3 के रूप में थान सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 120 ए 2 पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं।

10– वादी की ओर से **पी०डब्लू० 1 के रूप में गनपति सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 90 ए 2 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादीगण सं० 1 के अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर कथन किया है कि–

मितरौल में मेरी ससुराल है। मैं पढ़ा लिखा हूँ अब शरीर काम नहीं करता है। सन् 1944 में चौथे तक पढ़े थे। मेरे ससुर एक थे देखे नहीं थे, बताते हैं। सास मेरी एक थी जिसका नाम भवानी था। शोभा हमारी सास थी चचिया सास थी। शोभा के कोई सन्तान नहीं थी। हमारी सास को तीन लड़कियाँ थी बड़ी का रेनुका छोटा का गीता तीसरी का नाम सविता था। सविता के साथ मेरी शादी हुयी थी। गीता की शादी रोशन सिंह से हुई थी। तीसरी की शादी किशनलाल से हुी थी जो नगला बाग के रहने वाले थे। शोभा और भवानी साथ–साथ रहने लगी। भवानी और शोभा का प्रापर्टी में आधा–आधा हिस्सा है। शोभा और भवानी दोनों ही मर चुकी है। शोभा जमीन–जमीन का ½ भाग का बैनामा रोशन सिंह के हक में कर गयी। जो जमीन थी उनके सभी नम्बर मुझे पता नहीं इससे पहले भी मैंने 1989 (एक कम नब्बे) में किया था। वो मुकदमा जमीन का नहीं हुआ था। मेरा खतौनी में नाम है। हम खतौनी नहीं ला सकते है। रोशन का नाम तो है ही अब उनके लड़के मुकदमा लड़ रहै है। मुझे यह पता नहीं है कि नक्शा नजरी में मैंने जो मकान व खाली जगह नक्शा नजरी में दिखाई वह किन अक्षरों से दिखाई है। गाटा संख्या 374 व 375 में आधे में रोशन सिंह का

मकान बन गया आधे में हमने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा आपसी रूप से किया था। मैंने बताया था वह शपथ पत्र में वकील साहब ने लिखा। सन् 89 का मुकदमा हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। इस समय प्रतिवादीगण का मकान पक्का बना हुआ है। यह जगह शोभा देवी से नहीं खरीदी थी बल्कि आवादी थी। शोभा देवी ने जो बैनामा रोशन सिंह के हक में किया उसे मैने नहीं देखा रोशन सिंह के मकान व मेरी आवादी व मकान वाली जगह चकबन्दी में छोड़ दी गयी थी तथा उत्तर में रास्ता निकाल दिया गया था। गाटा सं० 374, 375 आवादी के नम्बर है। मुझे ध्यान नहीं है कि गाटा संख्या 374, 375 आवादी के रूप में चकबन्दी में छोड़े गये है का साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल किया है अथवा नहीं। शोभा देवी के पति का नाम टोड़ी सिंह मैने उन्हें देखा नहीं है। जो जगह गाँव में मेरी है जिसमें मकान बने है वहाँ मैं रहता हूँ तथा जो खाली जगह है उसमें कन्डा विटया, कुट्टी की मशीन लगी है। मवेशी बांधता हूँ छोटा बचाचा गाँव में रहता है दो लड़के गाँव में नहीं रहते है आते–जाते रहते हैं। चौथे पाँचवे दिन आते है। जिसमें मैं रहता हूँ उसकी लम्बाई 20–20 फुट है तथा अन्दर चौड़ाई 9–10 फुट होगी जिन पर दरवाजे चड़े हैं। आवादी की भूमि का था। उसमें हमारा नाम नहीं था इसलिए लोअर कोर्ट से खारिज कर दिया। शोभा देवी व भवानी का आवादी में भी आधा–आधा हिस्सा था। भवानी के तीन दमाद थे उनमें से मैं एक हूँ। आवादी वाले में हम पूरे के मालिक हैं। आवेदी के नम्बर 374, 375 है। इन नम्बरों का मुझे रकवा पता नहीं है। लम्बाई चौड़ाई पता है। 374 की उत्तर दक्षिण लम्बाई 65–66 फुट है। 375 की नाप तौल नहीं है। 374 पूरब, पश्चिम लम्बाई 40+ 36= 76 फुट है। 375 की पूरब पश्चिम लम्बाई पता नहीं आपसी में हिस्सा कर लिया था। इन दोनों नम्बरों में आधे की शोभा देवी आधे की भवानी मालिक थी। भवानी ने इस आवादी का तीनों लड़कियों के नाम अलग–अलग बैनामा नहीं किया। इसमें मकान हमने अपनी सास के मनरे तथा शोभा देवी के मरने के बाद बनाये है। भवानी छः महीने पहले शोभा देवी से मरी थी। हमने और रोशन सिंह ने किशनपालके लड़के श्याम बिहारी के सामने आपस में बटवारा किया था। पहला मुकदमा सन् 89 का खारिज होने के बाद यह मुकदमा वर्ष 1996 में किया है। मैंने सन् 1995 में इस जगह में से श्याम बिहारी से बैनामा कराया था। उन्होंने अपने हिस्से का बैनामा किया था। श्याम बिहारी ने अपना जितना हिस्सा था उसका बैनामा कर दिया श्याम बिहारी पाँच भाई है। इतना ध्यान नहीं है कि उन्होंने अपने सभी भाइयों के हिस्से के हिस्सा या अपने हिस्से का बैनामा किया था ध्यान नहीं है। यह ध्यान नहीं है कि कितने में कराया था। पैसे पहले ही दे दिये थे दाखिल खारिज से। यह कहना सही है विवादित गाटा संख्या 374, 375 में

भवानी व शोभा का आधा–आधा हिस्सा काबिज है। भवानी वाले हिस्से के पूरे के हम मालिक काबिज है। यह कहना गलत है कि भवानी के हिस्से में 1/3 भाग में मालिक काबिज हूँ बल्कि पूरे भाग पर मैं काबिज हूँ यह कहना गलत हहै कि वह दावा रोशन सिंह का हिस्सा समाप्त करने के उद्देश्य से किया है। यह कहना भी गलत है कि मैने किशनलाल व उनके पुत्रों का हिस्सा समापत् करने के उद्देश्य से पक्षकार मुकदमा न बनाया हो। विवादित जमीन पर मेरा ही कब्जा चला आता है। यह कहना सही है कि विवादित जगह को मैं आज नापकर नहीं आया हूँ। इसलिए झूठा बयान दे रहा हूँ।

11– वादी की ओर से **पी०डब्लू० 2 के रूप में गीतम सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 91 ए2 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर कथन किया है कि–

शपथ पत्र कागज सं० 91 ए2 देखकर गवाह ने कहा कि मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जिरह करने हेतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी की जिरह का अवसर समाप्त किया जाता है।

12– वादी की ओर से **पी०डब्लू० 3 के रूप में थान सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 120 ए2 प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर कथन किया है कि–

यह साक्ष्य शपथ पत्र बहुत दिनों पहले दिया था। 2 महिने से जादा समय हो गयाहै। गवाही के ऊपर दिया था। गनपति और रोशन के बीच मुकदमा चल रहा है उसकी गवाही के लिये दिया था। यह दावा गनपति सिंह ने किया है और किसी ने नहीं किया है गनपति सिहं ने किया है। वादीगण में गनपति और इनके बालक डम्बर सिंह और रामपा सिंह है। डम्बर सिंह और रामपाल एटा रहते है। इनकी नौकरी लग गयी तो तब यहाँ आकर रहने लगे। गनपति सिहं मितरौली रहते थे इनकी मृत्यु हो गयी है। गनपति सिंह ने रोशन सिंह के खिलाफ दावा कियाहै। रोशन सिंह अपने हिस्से के अलावा दूसरे हिस्से में भी कब्जा करना चाहते हैं। रोशन का एक हिस्सा है, उसके बाद में मकान है उसके बाद आवादी है। जिसे गनपति सिंह बरत रहे। मुझे नहीं मालूम कि सरकारी कागजातों में ये आवादी दर्ज है या नहीं मैंने आवादी देखी है। आवादी का गाटा संख्या 374 व 375 है। मुझे गाटा सं० 374 व

375 का क्षेत्रफल नहीं मालूम है। ये नम्बर फर्द में चढ़े हुये हैं। विादित सम्पत्ति रोशनलाल, किशनलाल को दोनों पक्ष को ससुराल में मिली हुयी है। वादी तथा प्रतिवादी की सास भी भवानी देवी इस सम्पत्ति की मालिक थी। विवादित सम्पत्ति का कुछ नहीं किया था जमीन का बैनामा किया था। गनपति और रोशन भवानी के दामाद थे। यह कहना गलत है कि दामादों को विवादित सम्पत्ति ना दी हो बल्कि तीनों लोग बरत रहे थे। रोशनलाल की जगह नक्शा देख कर बताया कि पूरब में है और रोशन लाल के पश्चिम में वादी की है। इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व कोई मुकदमा वादी द्वारा नहीं किंया गया था। ओ०एस० न० 104/1989 वादी गनपत सिंह द्वारा चलाया गया है या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ना ही वह कब खारिज हुआ मुझे इसकी जानकारी है। यह कहा गलत है कि विवादित सम्पत्ति भवानी देवी ने गनपत को ना दी हो। यह कहना गलत है कि भवानी देवी के मरने के बाद विवादित सम्पत्ति उनके धेवतों के नाम आयी हो। मैं श्याम बिहारी पुत्र किशनलाल को मैं जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि गनपत सिंह वादी ने विवादित सम्पत्ति में 1/20 भाग श्याम बिहारी पुत्र किशनलाल से बैनामा कराया या नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि बैनामा के उपरान्त दावा किया या नहीं। मुझे ख़रीदने की नहीं पता। दावा गनपत जो जगह बरत रहे थे उतने पर ही दावा किया है। मुझे गनपत के पुत्र भूप सिंह गवाही के लिये बुला कर लाये है। मेरा कोई रिस्ता नहीं है गांव का हूँ। भूप सिंह मेरे कोई मेली जोली नहीं है गांव के है। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

13– **<u>दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण</u>**

<u>फेहरिस्त सूची कागज सं० 8 सी1 से–</u>

(i) एक किता नकल निर्णय दिनांकित 11.09.1997 कागज सं० 9 सी1/1 लगायत 9 सी1/3

<u>फेहरिस्त सूची कागज सं० 22 सी1 से–</u>

(i) एक किता नकल आधार अपील सिविल अपील संख्या 62 सन् 1992 कागज सं० 23 सी1/1 लगायत 23 सी1/2

(ii) एक किता नकल प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.03.1996 उपरोक्त अपील कागज कागज सं० 24 सी1/1

(iii) एक किता नकल प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.10.1996 कागज सं० 25 सी 1

(iv) एक किता नकल फोटोस्टेट प्रति खतौनी मौज मितरौल कागज सं० 26 सी 1

<u>फेहरिस्त सूची कागज सं० 35 सी1 से–</u>

(i) एक किता नकल निर्णय दिनांकित 28.11.1996 कागज सं० 36 सी1/1 लगायत 36 सी1/10

<u>फेहरिस्त सूची कागज सं० 92 सी1 से–</u>

(i) एक किता उच्च न्यायालय में लम्बित सैकेण्ड अपील की इण्टरनेट प्रति

14– **<u>मौखिक साक्ष्य प्रतिवादीगण</u>**

मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी **डी०डब्लू० 1 के रूप में अनार सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 128 ए 2, **डी०डब्लू० 2 के रूप में विजय सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 130 ए 2 पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से अन्य कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

15– प्रतिवादी की ओर से **डी०डब्लू० 1 के रूप में अनार सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 128 ए 2 प्रस्तुत किया गया जिसमें उसने अपनी जिरह में कथन किया है कि–

मैं एटा में वर्ष 1976 से मुशी का काम कर रहा हूँ। मैं इस समय रामनिवास यादव एड० के यहाँ काम करता हूँ। मैने अपना जो पता लिखाया है मैं उसी पते पर रहता हूँ। झगड़े वाली जमीन गाटा संख्या 374, 375 में स्थित है। ये दोनो गाटे एक दूसरे से मिले हुये है। इन दोनो गाटाओ के पूरब में हमारे पिताजी का बनाया पुराना मकान है। फिर कहा कि पूरब में हमारा गाटा है एवं पश्चिम में खाली जगह है, जो कि हमारी जगह है। विवादित भूमि के पश्चिम में रास्ता है और दक्षिण में बच्चन सिंह का मकान है और उत्तर में रास्ता है। उत्तर में जो रास्ता मैने बताया है वह इसी गाटा में से निकला होगा । मुझे रास्ते की लम्बाई चौड़ाई नही मालूम। ये दोनो गाटे कितने लम्बे चौड़े है मुझे नही पता । विवादित नं० आबादी में नहीं है, कृषि की जमीन पर है। मेरे गाँव मे चकबन्दी हो चुकी है । चक बन्दी में दोनो गाटा चक बन्दी बाहर रखे गये थे। दोनो गाटा आबादी व कृषि दोनो में प्रयोग हो रहे थे । चकबन्दी में खेती होती है वह भी भूमी बाहर छोड़ी जाती है। गाटा संख्या 374 में 4 डेसीमल व 375 में 12 डेसीमल आराजी में छोड़ी गयी थी आबादी में कुछ नही छोड़ा गया था । पत्रावली में फर्द खतौनी दाखिल है। खेती के प्रयोग में आ रही है। झगड़े वाली जगह मे इस समय मकान नही

बने है। इसमें कच्चे कोठे बने थे जो मेरे जन्म के पहले के थे। मेरी उम्र 76 वर्ष है। मेरा पक्का मकान भी जो विवादित भूमि के पूरब में है इस गाटा संख्या 374, 375 मे नही है। फिर कहा कि मेरा मकान 374, 375 में है। गाटा संख्या 374 व 375 आवादी में दर्ज नहीं है खेती में दर्ज है। इन गाटाओं में कोई आवादी कायम नहीं है। यह बात सही है कि ये गाटा आबादी में प्रयोग हो रह थे इसलिए चकबंदी से बाहर रखे गए थे. अपने मकान की लम्बाई व चौड़ाई नहीं बता कता हूँ। मैं नहीं कह सकता कि मेरा मकान 100 फुट चौड़ाई एवं 60 फुट लम्बाई में बना है या नहीं। यह कहना सही है कि मेरा मकान ½ भाग से ज्यादा में बना है जो कि पहले से बना है कितने साल पहले बना मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि मेरा मकान जब मुकदमा शुरू हुआथा उससे पहले का बना है। यह नहीं बता सकता कि यह मकान दो साल या तीन साल पहले बना मुझे नहीं पता यह मकान मेरे पिताजी ने बनवाया मेरे सामने नहीं बना है। मैं हाई स्कूल पास हूँ मैं फुट और मीटर के बारे में जानता हूँ यह कहना गलत है कि मैंने अपने मकान की लमाबाई चौड़ाई इसलिए न बातयी क्योंकि मैं वादी का मान हड़पना चाहता हूँ। मैं 1972 से एटा कचहरी में मुंशी का कार्य कर रहा हूं। जिस विवादित जगह को वादी ने अपने वाद पत्र के मानचित्र में अक्षर अ, ब, स, द, य, र से दर्शाया है वह गाटा संख्या 374 व 375 में स्थित नहीं है। किस गाटा में स्थित है मुझे पता नहीं है। मैं गाटा संख्या 374 व 375 में हिस्सेदार हूँ मुझे जानकारी नहीं है कि विवादित अ, ब, स, द, य, र किस गाटा में स्थित है। भवानी देवी के तीन लड़कियाँ थी जिनका नाम रेनुका देवी, गीता देवी व सविता देवी है। गाटा संख्या 374 व 375 की भवानी देवी व शोभा दोनों मालकिन थी भवानी देवी के मरने के बाद गाटा संख्या 374 व 375 उनके धेवतों के नाम आयी जिनके नाम (रेनुका के लड़के) श्याम बिहारी, ज्ञान सिंह, हेतराम, सूरजपाल, खजान सिंह व ठाकुरदास व गीता देवी के लड़के छेदालाल, अनार सिंह, केन्द्रपाल, मुन्नालाल, अमर सिंह, नरेन्द्र पाल व सविता देवी के लड़के डम्बर सिंह, रामपाल सिंह, भूप सिंह है। सविता को ही सावित्री कहते थे, जो गणपति वादी की पत्नी थी। यह मुझे नहीं पता कि भवानी की मृत्यु कब हुई। मेरे जन्म से पहले ही भवानी देवी की मृत्यु हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि श्याम बिहारी की उम्र कितनी है श्याम बिहारी मुझसे बड़े थे, खजान सिंह, ठाकुरदास मुझसे छोटे है। हेतराम, सूरजपाल मुझसे बड़े हैं, डम्बर सिंह रामपाल, भूप सिंह मुझसे उम्र में छोटे हैं। गणपति ने मेरे खिलाफ 1989 में मुकदमा किया था जो कि पिता रोशन सिंह के खिलाफ था। यह जानाकरी नहीं कि मुकदमा हम तीनों भाइयों (छेदालाल, अमर सिंह, मुन्नालाल) के भी विरुद्ध था। मुझे जानकारी नहीं है। मुकदमा नं० 104/09

गणपति सिंह बनाम रोशन सिंह आदि में पारित निर्मय दिनांक 08/10/92 में विवादित भूमि अ, ब,स, द, य, र पर गणपति का कब्जा नहीं माना गया था। इसके विरुद्ध अपील गणपति सिंह उक्त मकदमे में जीते हो मुझे नहीं पता। मुझे जानकारी नहीं है कि अपील में पारित आदेश के विरुद्ध रोशन सिंह आदि ने मा० उच्च न्यायालय में अपी की या नहीं। मुझे जानाकरी नहीं है कि अपील खारिज हो चुकी है या नहीं। मुकदमा नं० 775/96, 192/15 गणपति आदि बनाम रोशन सिंह आदि में मैंने अपना जबाव दावा दाखिल किया है, उसमें जो लिखा है वो सही है। धारा 34 व धारा 41 में नहीं जानता वकील साहब जानते होंगे धारा 331 क्या होती है मैं नहीं जानता वकील साहब जानते हैं। मैंने यह बात सही बतायी है कि साक्ष्य शपथ पत्र में जो धाराएँ लिखी है मुझे जानकारी (परिभाषित) नहीं है। मेरे साक्ष्य शपथ पत्र में जो कुछ लिखा है। मेरे वकील साहब ने लिखा है। प्रश्न– आपने अपने जवाब दावा में यह लिखा है कि वादी को कमरे आदि की जगह सिलाई हेतु दे दी थी, वह कब दी बता सकते हो। उत्तर– सिलाई के लिए नहीं दी थी। मैं नहीं बता सकता कि मेरे जबाव दावा में उक्त बात लिखी है या नहीं। मेरे जानकारी में नहीं है कि डब्लू०एस० जो लिखा है वह वकील साहब ने लिखा है। मैंने लिखाया नहीं लिखा है। घरेलू रजामंशी से बटवारा कब हुआ मुझे जानकारी नहीं है। विवादित जगह में जब निर्माण हुआ तब मेरी उम्र क्या थी मुझे नहीं पता। न वादीगण की उम्र क्या थी मुझे नहीं मालूम। मैंने कोई दावा वादीगण के खिलाफ कब्जा हटाने का दावा नहीं किया है। मैंने अपने दावा में यह लिखा है कि नहीं कि वादीगण ने विवादित जगह में निर्णा कर दिया इसकी मुझे जानाकरी नहीं है। मितरौल में मेरे पिता जी वादी गनपति की ससुराल है। मेरे पिता जी और वादी गनपति शादी के बाद से ही ससुराल में रह रहे हैं। वादीग गनपति के लड़कों का जन्म ससुराल में ही हुआ है। गनपति ने 14.07.1995 में इसी गाटा का बैनामा श्याम बिहारी के भाग का कराया है। जो रिपोर्ट कमीशन इस मुकदमें में आयी है उस पर मैंने ऐतराज किया है या नहीं मेरे जानकारी में नहीं है। झगड़े वाली जगह में चबूतरा, कमरे, कितने साल पहले बने है मुझे नहीं पता। मैं गाटा संख्या 374 व 375 का खसरा दाखिल नहीं कर सकता हूँ। यह कहना सही है कि दोनों खसरों आराजी दर्ज है। आवादी दर्ज नहीं है। यह कहना गलत है कि गाटा सं० 374 व 375 चकबंदी से पहले आवादी के रूप में प्रयोग हो रहे हों। मेरे जानकारी में नहीं है कि मैंने अपने जबाव दावा में मद नं० 9–10 में जो हिस्सा बताया है उसका कोई दस्तावेज दाखल किया है या नहीं। झगड़े वाली जगह में इन्जन नहीं लगा है। यह कहना गलत है कि इन्जन लगा हो जो वादी का हो। बुजुर्गों ने की होगी मैंने कभी नहीं की खेती। मुझे नहीं

जानकारी कि बुजुर्गों ने कितने साल पहले खेती की थी। मेरे होते में कभी खेती नहीं हुई खाली पड़ी रहती थी। मुझे नहीं पता कि असरौली में कितने साल से रह रहा हूँ। मुझे झगड़े वाली जगह की लम्बाई चौड़ाई नहीं पता। मैंने झगड़े वाली जगह में कोई निर्माण नहीं कराया। प्रतिवादी सं० 3 का भी उक्त गाटों में हिस्सा है। बेचा है या नहीं यह वही बता सकते है। मेरे साक्ष्य शपथ पत्र में जो हिस्से लिखे है उनकी बावत मैं कोई दस्तावेज नहीं दे सकता। मैं कोई जानवर नहीं पालत हूँ। मैंने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में गनपति के द्वारा आदेश दिनांक 08.10.1992 के विरुद्ध आपत्ति करने के बावत सही लिखाया है। इस अपील में क्या आदेश हुआ मुझे नहीं पता है। हाई कोर्ट में मैंने कोई अपील नहीं की है। मैंने मा० उच्च न्या० मे अपील सं० 62/1992 गनपति बनाम रोशन सिंह में पारित निर्णय के विरुद्ध अपी की या नहीं, मेरे जानाकरी में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता ने कोई अपील की थी या नहीं धारा 143 विशिष्ट अनुतोष अधि० क्या होता है मुझे नहीं पता। कागज सं० 92 सी 1 फेहरिस्त से 92सी1/2 कागज मैंने ही दाखिल किया है, जो कि द्वितीय अपील संख्या 138/97 रोशन सिंह पिटिशनर व रेस्पोन्डेण्ट गनपति के बावत है। मेरी जानकारी में नहीं है कि मेरी अपील 138/97 जो मा० उच्च न्या० में विचाराधीन थी खारिज हो गयी है या नहीं। झगड़े वाली जगह के उत्तर में रास्ता है। मद नं० 13 साक्ष्य शपथ पत्र में र, अ, ब से उत्तर की ओर चिपटा हुआ रास्ता नहीं है न आम रास्ता है यह बात मैंने नहीं लिखाई है। वकील साहब ने लिख दी है। जो गलत लिखी है। मद नं० 20 में जो बातें लिखी है मैंने नहीं लिखाई मेरे अधिवक्ता ने अपने ओर से लिख दी है। गाटा सं० 374 व 375 में वादी गनपति सिंह हिस्सेदार नहीं है। उनके लड़के हिस्सेदार हैं। गनपति सिंह श्यामबिहारी से हिस्सा खरीदने के बाद हिस्सेदार बने। यह कहना गलत है कि वाद पत्र के मानचित्र में अक्षर र, अ, ब, स, द, य भूमि व उसमें मौजूद निर्माण वादीगण के हो यह कहना गलत है कि विवादित जगह मौजूद कमरे, शयन व चबूतरा आदि का निर्माण अर्षा करीब 75 साल पूर्व वादी सं० 01 द्वारा किया गया हो। यह कहना भी गलत है कि उसमें मौजूद लड़ावली, खूँटा, झोपड़ी, कूटी मशीन एवं इन्जन वादीगण के हों व वादीगण ही अर्षा करीब 75 साल से प्रयोग कर रहे हों। यह कहना गलत है कि हम प्रतिवादीगण का कोई कब्जा व दखल विवादित भाग पर कभी नहीं रहा हो। यह कहना भी गलत है कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन मेरी अपील खारिज हो चुकी हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे द्वारा प्रतिवाद पत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र झूठा दाखिल किया गया हो।

16– प्रतिवादी की ओर से **डी०डब्लू० 2 के रूप में विजय सिंह** का साक्ष्य शपथ पत्र 130 ए 2 प्रस्तुत किया गया जिसमें उसने अपनी जिरह में कथन किया है कि–

इस दावे में जो पक्षकार हैं उनका निवास स्थान और मेरा निवासी स्थान एक ही मजरे में आता है। मेरा गांव पक्षकारों के गांव का नगला है। जौंहरपुर व मितरौली दोनों अलग अलग गांव है लेकिन मजरा मितरौल है। जौहरपुर मिरतौल से 600 मीटर दूर होगा। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं खेती कता हूँ और टेन्ट का भी काम करता हूँ। विवादित जमीन मैंने देखी है, विवादित जमीन के पूरब में नरेन्द्र का मकान, पश्चिम में खड़न्जाहै, उत्तर में भी खडन्जा है, दक्षिण में गरजू की जगह पड़ी है। विवादित जगह किस गाटा सं० में है मुझे नहीं पता। रोशन सिंह का मकान देखा है। रोशन सिंह का मकान झगड़े वाली नम्बरान में ही है। रोशन सिंह के मकान की लम्बाई चौड़ाई मैं नहीं बता सकता। अन्दाज से भी नहीं बता सकता। मैं नहीं कह सकता कि रोशन सिंह का मकान 100 फिट लम्बा व 40–45 फीट चोड़ा है। क्योंकि मैंने नापा नहीं है। मुझे नहीं पता विवादित जगह में बने कमरे व चौपाल कब के बने है मेरी याद से पहले के बने है। मुझे नहीं पता कि विवादित जगह में बने कमरे चौपाल मेरे जन्म से पहले बने है। कमरे मेरे सामने नहीं बने किसने बनवाये मुझे नहीं पता रोशन सिंह लड़के रह रहे हैं। मैंने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में लिखवाया है कि इस मुकदमे के पहले भी विवादित मकान व चौपाल का मुकदमा चला है। मुझे नहीं पता यह मुकदमा कब चला है। यह मुकदमा गनपति सिंह ने रोशन सिंह के खिलाफ किया था। कितने वर्ष पहले किया मुझे नहीं पता। यह मुकदमा कब निर्णीत हुआ मुझे नहीं पता। मुकदमें में निर्णय रोशन सिंह के पक्ष में हुआ था। वह मुकदमा मेरे खिलाफ दायर नहीं हुआ था। यह बात रोशन सिंह के लड़के मुन्ना ने बतायी थी कि निर्णय मेरे पक्ष में हो गया है। रोश सिंह के चार लड़के हैं। मुन्नालाल, नरेन्द्र, अमर सिंह तथा अनार सिंह है। अनार सिंह ग्राम असरौली में रहते है, कितने वर्ष से रहते हैं मुझे नहीं पता। विवादित जगह में खाली जगह पड़ी है कुछ नहीं नहा है। यह कहना गलत है कि झगड़े वाली जगह में कमरे या चौपाल बनी हो। झगड़े वाली जगह में इन्जन नहीं है। ट्रक्टर, ट्राली थ्रेसर, कल्टीवेटर, हैरो, मक्का मशीन, मूंगफली निकालने वाली मशीन व पशु बंधते है। रोशन सिंह के लड़कों के। यह बाते मेरे साक्ष्य शपथ पत्र में लिखी है। यह कहना गलत है कि उपरोक्त चीजें विवादित जमीन में न रखी हो। यह कहना गलत है कि गनपति व उनके लडकों का विवादित जमीन में कुटी की मशीन, इन्जन, सिलाई मशीन रखी हो और वही वादीगण इन कमरों को अभी तक इस्तेमाल कर रहे हो। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन में कमरे व चौपाल आदि गनपत एवं लड़कों नं बनायी हो और वही उनके

मालिक काबिज हो। झगड़े वाली जगह व विवादित कमरों एवं रोशन सिंह के मकान के मालिक काबिज पहले रोशन सिंह हो। यह कहना गलत है कि मकान रोशन सिंह वाली जगह व विवादित जगह के मालिक पूर्व में भवानी देवी हो। भवानी देवी की कितनी लड़कियां भी मुझे नहीं पता। विवादित जमीन पर रोशन सिंह का कब्जा 18–20 वर्ष से कब्जा देखा है। उससे पहले किसका था। जब होश सम्भाला है उन्ही का कब्जा है। 18–20 वर्ष में मुझे होश आया। यह कहना गलत है कि पूर्व मुकदमे में कब्जा गनपति सिंह का माना गया हो। मुझे नहीं पता पूर्व मुकदमें में अदालत द्वारा किसका कब्जा माना गया हो. उस मुकदमें में अपील हुयी या नहीं मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि विवादित जगह में लडावनी, खूंटे, मशीन सिलाई, इंजन आदि सामान वादी के हो। यह कहना भी गलत है कि विवादित जमीन पर वादी का ही शुरू से कब्जा रहा हो व वादीगण द्वारा निर्णीत किया गया हो और वादीगण ही बरत रहे हो। यह कहना गलत है कि मैं प्रतिवादीगण से मेल जो ले होने से झूंठी गवाही दे रहा हूँ।

17– मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

–<u>समीक्षा एवं निष्कर्ष</u>–

18- प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र में वर्णित प्रश्नगत मकान भूमि संख्या 374 व 375 में स्थिति, जिसे वाद पत्र के अन्त में नक्शा नजरी ब, स, य, र से दर्शाया गया, पर स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में संक्षिप्त में अभिकथन किया है कि भूमि सं० 374 व 375 में वह व उसका परिवार अध्यासित है, वादी सं० 1 द्वारा लगभग 45 वर्ष पूर्व मकान बनाया गया था। वादी सं० 1 व प्रतिवादी सं० 1 दोनों भवानी देवी के दमाद है तथा दोनों अपनी ससुराल में आकर रहते थे। भवानी देवी के तीन दामाद थे तथा कोई भी पुत्र नहीं था। विवादित भूमि सं० 374 व 375 पर वादी सं० 1 द्वारा वाद सं० 104/1989 गणपति सिंह बनाम रोशन सिंह आदि, स्थाई निषेधाज्ञा बावत न्यायालय में संस्थित किया गया था, जिसका निर्णय दिनांकित 08.10.1992 को किया गया। वादी सं० 1 द्वारा सहखातेदार श्यामबिहारीलाल पुत्र किशनलाल से दिनांक 15.07.1995 को विक्रेता के 1/20 भाग का बैनामा अपने हक में कराया गया, उसके पश्चात वादी सं० 1 का नाम भू–अभिलेखों में अंकित हुआ।

19– प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव/प्रतिवाद पत्र में संक्षिप्त में अभिकथन किया

है कि विवादित गाटा सं० 374 एवं 375 भूलेखागारों में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने अभिकथन किया कि उक्त गाटा सं० 374 व 375 को चकबंदी से बाहर रखा गया है,क्योंकि प्रतिवादीगण अपने मवेशी आदि भूमि पर बांधते तथा आवादी की तरह प्रयोग करते थे। प्रतिवादीगण ने कथन किया कि अक्षर अ, ब, स, द से घिरी विवादित सम्पत्ति तथा उसके पूरब की ओर सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण मालिक व काबिज है, जिसमें उनके द्वारा एक कुटी मशीन, इंजन लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने कथन किया कि भवानी देवी ने समस्त सम्पत्ति अपने तीनों लड़कियों के बच्चों को दी थी तथा जिसके कारण सभी आपस में सहखातेदार हैं व प्रतिवादी सं० 1 रोशन सिंह ने शोभा देवी से उसके हिस्से का आधा भाग का बैनामा अपने नाम कराया था, जिस कारण उसका नाम भी भू–अभिलेखों में अंकित हुआ। उक्त गाटा संख्याओं में प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि उभय पक्षों का आपसी घरेलू बंटवारा रजामन्दी से हुआ था, जिसके बाद से ही दोनों पक्ष अपने–अपने घरेलू बंटवारे में मिले हिस्से पर अध्यासित चले आ रहे हैं।

20– <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1</u>

1– क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति जिसको वाद पत्र के नक्शा में ब, स, य, र से दर्शाया गया का तन्हा मालिक व काबिज है ?

वादीगण द्वारा अपने अध्यासन को सिद्ध करने के लिए पी०डब्लू० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि *"गाटा सं० 374 व 375 में आधे में रोशन सिंह का मकान बन गया तथा आधे में हमने कब्जा कर लिया, यह कब्जा आपसी रूप से किया गया था। यह जगह शोभा देवी से नहीं खरीदी थी, बल्कि यह आवादी थी। रोशन सिंह के मकान व मेरी आवादी व मकान वाली जगह चकबन्दी में छोड़ दी गयी थी। शोभा देवी व भवानी का आवादी में भी आधे–आधे की मालिक थी। शोभा देवी हमारी चचिया सास थी। शोभा देवी के कोई सन्तान नहीं थी। शोभा देवी ने जमीन का आधा भाग का बैनामा रोशन सिंह के हक में कर गयी थी। इसमें (उक्त गाटा संख्याओं में) मकान हमने अपनी सास के मरने तथा शोभा देवी के मरने के बाद बनाये हैं।"*

21– इस प्रकार उक्त गाटा संख्याओं में वादी सं० 1 गणपति सिंह द्वारा अपने अध्यासन को साबित करने के पक्ष में कथन किया है। इसी प्रकार वादी सं० 1 के अध्यासन को पी०डब्लू० 3 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में समर्थन कर कथन किया कि रोशन सिंह का एक हिस्सा है उसके बाद में मकान है, उसके बाद आवादी है, जिसे गनपति सिंह बरत रहे

हैं। विवादित सम्पत्ति रोशन लाल, किशनलाल को दोनों पक्ष को ससुराल में मिली हुयी है।

22– उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यासन के प्रश्न पर डी०डब्लू० 1, जो कि प्रतिवादी सं० 1 रोशन सिंह का पुत्र है ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र के मद सं० 12 में कथन किया है कि उक्त गाटाओं के पश्चिम की ओर ही 0.06 डे०मि० भूमि जो डम्बर सिंह व रामपाल सिंह तथा श्यामबिहारी को घरेलू व आपसी बंटवारे में मिली थी, वह मौके पर खाली पड़ी है जिसे वादीगण ने वाद पत्र के अन्त दिये गये नक्शा नजरी में अ, द, य, र से घेरा दर्शाया है और घरेलू व आपसी बंटवारे के अनुसार अक्षर अ, द, य, र से घेरी सम्पत्ति के मालिक व काबिज है। इसी कथन के समानुरुपी प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में कथन किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि गाटा सं० 374 व 375 में वादी गनपति सिंह हिस्सेदार नहीं है, उनके लड़के हिस्सेदार हैं। गनपति सिंह श्यामबिहारी से हिस्सा खरीदने के बाद हिस्सेदार बने हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण के साक्ष्यों से भी उक्त गाटाओं में वादीगण का हिस्सा व अध्यासन होने का समर्थन करते हैं।

23– उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अध्यासन के प्रश्न पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र में अभिकथन किया गया है कि बाद चकबंदी उक्त दोनों गाटों की भूमि का अरसा करीब 15 साल का हुआ आपसी बटवारा हुआ और उपरोक्त गाटों की 0.16 डे०मि० भूमि में पूरव तरफ की लगभग 0.10 डे०मि० भूमि हम प्रतिवादीगण को मिली और पश्चिम तरफ की लगभग 0.06 डे०मि० भूमि डम्बर, रामपाल वादीगण संख्या 2 व 3 एवं श्याम विहारी, गयान सिंह, हेतराम, सूरज पाल व खजान सिंह को मिली थी। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र में विवादित सम्पत्ति पर वादीगण के अध्यासन को स्वीकार किया है।

24– इसके अतिरिक्त अध्यासन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य खसरा कागज सं० 133 सी1/5 का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से विदित है कि उक्त खसरा में वादी गनपति सिहं का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। अतः इससे स्पष्ट है कि वादी गनपति सिंह का अध्यासन विवादित गाटा संख्याओं पर है।

25– उपरोक्त समीक्षा के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष निकलता है कि **वादीगण का भी उक्त गाटा संख्याओं पर अध्यासन है।**

26– जहाँ तक प्रश्न उक्त गाटा संख्याओं पर वादीगण के मालिकाना हक का है, उसके संबंध में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बैनामा कागज सं० 14 ए1 दाखिल किया गया, एक किता फर्द खतौनी ग्राम मितरौल कागज सं० 15 सी 1 तथा खसरा

कागज सं० 133 सी1/5 दाखिल किया गया है।

27– वादी गनपति सिंह की ओर से अपने कथानक के समर्थन में बैनामा दाखिल किया गया है, जिसका न्यायालय द्वारा अवलोकन किया तथा यह तथ्य निकलकर आया है कि विक्रेता श्यामबिहारी पुत्र किशनलाल जो कि भवानी सिंह का धेवता है, ने अपना हिस्सा जो कि 1/20 भाग है, का सम्पूर्ण भाग गनपति सिंह पुत्र मुरली सिंह को दिनांक 14.07.1995 में विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र में आठ गाटा संख्याओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से दो विवाविदत गाटा सं० 374 व 375 का भी उल्लेख है। कागज सं० 14 ए 1 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विक्रय पत्र में गाटा सं० 374 व 375 का किस दिशा में कितना भाग वादी सं० 1 को विक्रय किया गया है, इसका कोई उल्लेख विक्रय पत्र में नहीं किया गया है। विक्रय पत्र में उक्त गाटा संख्याओं की किसी प्रकार की कोई चौहद्दी एवं नक्शा नजरी का उल्लेख नहीं किया गया है। जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं है कि वाद पत्र में अभिकथित गाटा सं० 374 व 375 पर वादी सं० 1 द्वारा किस दिशा में एवं कितना भाग क्रय किया गया है।

28– उक्त गाटा संख्याओं का खसरा कागज सं० 133 सी1/5 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि की श्रेणी आवादी दर्शायी गयी है तथा वादीगण के साथ प्रतिवादीगण को सहखातेदार दर्शाया गया है। इसी प्रकार दाखिल उक्त गाटा संख्याओं की खतौनी कागज सं० 15 सी 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त बैनामा के आधार पर श्यामबिहारी पुत्र किशनलाल के स्थान पर खतौनी में वादी सं० 1 गनपति सिंह का नाम दर्ज किया गया है तथा यह भी स्पष्ट है कि उक्त गाटा संख्याओं के खातेदार के क्रमांक में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अंकित हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण उक्त गाटा संख्याओं के सहखातेदार हैं।

29– यहाँ यह भी स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा स्वतः ही उक्त गाटा संख्याओं में पूरब की ओर प्रतिवादीगण का अध्यासन एवं मालिकाना हक को स्वीकार किया है। इसके संबंध में रिपोर्ट कमीशन कागज सं० 17 सी 2 का अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त गाटा संख्याओं में वादीगण का अध्यासन का समर्थन किया गया है साथ ही प्रतिवादीगण का भी अध्यासन पूरब की ओर दर्शाया गया है।

30– स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पर विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायालय द्वारा विवादित सम्पत्ति पर वहाँ दिया जा सकता है जहाँ पर सम्पत्ति का विवरण वाद पत्र के समर्थन में स्पष्ट रूप से हो। वादीगण द्वारा अपने मालिकाना हक के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बैनामा दाखिल किया गया है, जिसमें मात्र विक्रेता द्वारा अपने भाग (विवादित सम्पत्ति का 1/20 भाग) को विक्रय करने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र में किसी प्रकार का सम्पत्ति का विवरण अंकित नहीं है, जिससे कि विवादित आवादी में विवादित सम्पत्ति की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके एवं वादीगण द्वारा यह भी कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त गाटा संख्याओं में कुल कितने क्षेत्रफल पर उनका मालिकाना हक है। इसके अतिरिक्त विवादित सम्पत्ति जिस पर वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए यह वाद संस्थित किया गया, से संबंधित कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किसी भी प्रकार से यह स्पष्ट हो सके कि वादीगण विवादित सम्पत्ति अक्षर ब, स, य, र का **सम्पूर्ण स्वामित्व वादीगण के हक में** हो। अतः उपरोक्त समीक्षा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी यह सिद्ध करने में **असफल रहा है** कि वाद पत्र में दर्शित उक्त गाटा संख्याओं 374, 375 के नक्शा नजरी अक्षर ब, स, य, र के **सम्पूर्ण भाग पर तन्हा मालिकाना हक रखते हैं।**

31– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उभय पक्षों ने अपने अभिकथनों में यह स्वीकार किया है कि उक्त विवादित गाटा संख्याओं में उभय पक्ष अध्यासित चले आ रहे हैं। इस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में अभिकथन किया है कि वादीगण एवं श्यामबिहारी पुत्र किशनलाल के समक्ष उभय पक्षों का आपसी सहमति से घरेलू बंटवारा हुआ था, जबकि वादीगण द्वारा अपने रिप्लीका कागज सं० 31 ए1 की मद संख्या 5 में यह स्पष्ट रूप से अभिकथन किया गया है कि उक्त गाटा संख्याओं में कोई भी घरेलू बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि कब्जा के अनुसार उभय पक्षों ने उक्त गाटा संख्याओं में अपना अध्यासन स्थापित कर रखा है। अतः न्यायालय के समक्ष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि उभय पक्ष उक्त गाटा सख्याओं में सहखातेदार हैं तथा उनका कोई भी बंटवारा उक्त वाद संस्थित करने से पूर्व नहीं हुआ है एवं न ही उनके मध्य किसी अन्य प्रकार से सीमाओं का निर्धारण किया गया है।

32– जब उभय पक्ष सहखातेदार हों तथा वाद का मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का हो तो इस संबंध में माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की निम्न विधिव्यवस्था में प्रावधान पूर्णतः स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने T. Lakshmi Pati and others v. P. Nithyananda Reddy & ors. AIR 2003 SUPREME COURT 3983, में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः-

"it was held that one co-owner cannot be permitted take exclusive possession of the property nor can be permitted to commit waste or do illegitimate use of a joint property. A right of the co-sharer to enjoy the property jointly and exclusively has been recognized and to that extent right to protect possession has also been recognized. The interest in the property of one stands fortified by another co- sharer and to that extent nobody can be permitted to take exclusive (11) possession of a particular area by way of illegitimate use thereof or may be changing the nature of the land."

33– उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि किसी भी एक सहस्वामी/सहखातेदार को सम्पत्ति का अनन्य कब्जा (Exculsive possession) करने की अनुमति नहीं दी जा सकती न ही किसी सहस्वामी की संयुक्त सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या अनुचित उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। संयुक्त सम्पत्ति में एक सहस्वामी का हित दूसरे सहस्वामी द्वारा मजबूत होता है तथा किसी भी सहस्वामी को भूमि की प्रकृति बदलकर अनन्य कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

34– उक्त वाद की समीक्षा के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त गाटा संख्याओं में उभय पक्ष सहखातेदार हैं तथा उनका उक्त गाटाओं का कोई भी विधिक बंटवारा सहखातेदारों के बीच में नहीं हुआ है। उपरोक्त समीक्षा में यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उभय पक्षों का उक्त गाटा संख्याओं (गाटा संख्या 374 व 375) पर अध्यासन है। सहखातेदारों का उक्त गाटाओं में कोई भी सीमा अथवा क्षेत्रफल का निर्धारण नहीं किया गया है। सह खातेदारों के बीच स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष के विधिक बिन्दु पर निम्न विधि व्यवस्था में ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है।

35– माननीय उच्च न्यायालय ने **Chhedi Lal And Anr. Vs Chhotey Lal AIR 1951 ALL 199** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि:-

"As a result of the foregoing discussion, it appears to us that the question of the right of co-sharers in respect of joint land should be kept separate and distinct from the question as to what relief should be granted to a co-sharer, whose right in respect of joint land has been invaded by the other co-sharers- either by exclusively appropriating and cultivating land or by raising constructions thereon. The conflict in some of the decisions has apparently risen from the confusion of the two distinct matters. While therefore a co-sharer is entitled to object to another co-sharer exclusively appropriating land to himself to the detriment of other co-sharers, the question as to what relief should be granted to the plaintiff in the event of the invasion of his rights will depend upon the circumstances of each case. ***The right to the relief for 'demolition and injunction will be granted or withheld by the Court according as the circumstances established in the case justify. The Court may feel persuaded to grant both the reliefs if the evidence establishes that the plaintiff cannot be adequately compensated at the time of the partition and that greater injury will result to him by the refusal of the relief than by granting it. On the contrary if material and substantial injury will be caused to the defendant by the granting of the relief, the Court will no doubt be exercising proper discretion in withholding such relief.*** *As has been pointed out in some of the cases, each case will be decided upon its own peculiar facts and it will be left to the Court to exercise its discretion upon proof of circumstances showing which side the balance of convenience lies. That the Court in the exercise of its discretion will be guided by considerations of justice, equity and good conscience cannot be overlooked and it is not possible for the Court to lay down an inflexible rule as to the circumstances in which the relief for demolition and injunction should be granted or refused."*

36– उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार सहखातेदारों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष तभी दिया जा सकता है, जब सहखातेदारों द्वारा अन्य सहखातेदार के भाग पर विशेष रूप से अतिक्रमण कर लिया गया हो तथा विभाजन के समय वादी को मुआवजा नहीं दिलाया जा सकता हो। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने विशिष्ट तथ्यों एवं

परिस्थितियों पर न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

37– उक्त वाद में वादीगण द्वारा कोई भी ठोश एवं विश्वसनीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार एवं कब प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अध्यासित सम्पत्ति पर हस्तक्षेप या कब्जा किया गया हो। उपरोक्त समीक्षा में यह पूर्व में ही निष्कर्ष दिया जा चुका है कि उभय पक्ष उक्त गाटा संख्याओं के सहखातेदार हैं एवं उभय पक्ष उक्त गाटा संख्याओं पर अध्यासित चले आ रहे हैं।

38– उक्त वाद में वादीगण अपने पक्ष में सुविधा के सन्तुलन को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं तथा दाखिल किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उभय पक्ष उक्त गाटा संख्याओं के सहखातेदार हैं। स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्ति के लिए वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति होने का कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समीक्षा एवं विधि व्यवस्था के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण विवादित सम्पत्ति जिसे वाद पत्र में अक्षर ब, स, य, र से दर्शाया गय है, पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त समीक्षा एवं निष्कर्ष के आधार पर वाद बिन्दु सं० 1 वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

39– **निस्तारण वाद बिन्दु सं० 2**

2– क्या वादी का वाद अल्प मूल्यांकित एवं न्याय शुल्क अपर्याप्त है।

उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

वादीगण ने वाद पत्र में कथन किया है कि वाद का मूल्यांकन वादीगण के मकान व भूमि के अनुमानित बजारू मूल्य 2100/– रुपये पर कायम किया जाता है और न्यायशुल्क वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा मुव० 2100/– रु० के 1/5 भाग पर मुव० 420/– रु० पर मुव० 53/– रु० कायम किया जाता है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में वाद के मूल्यांकन एवं न्यायशुल्क के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। साथ ही प्रतिवादी ने ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन एवं न्यायशुल्क कम किया गया है। अतः वाद बिन्दु सं० 2 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

40– <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 3 व 4</u>

3– क्या वादी का वाद धारा 331 यूपी० जेड० ए० एण्ड एल०आर० के अधिनियम से बाधित है।

4– क्या वादी का वाद धारा 49 उ० प्र० जोत चकबंधी अधिनियम से बाधित है।

उपरोक्त दोनों वाद बिन्दुओं को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जहाँ तक प्रश्न वाद को धारा 331 यू०पी० जेड०ए० एण्ड एल०आर० के अधिनियम एवं धारा 49 उ०प्र० जोत चकबंधी अधिनियम से बाधित होने का है। वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित संपत्ति को चकबन्दी की कार्यवाही से पृथक रखा गया था। उभय पक्षों द्वारा अपने–अपने वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त गाटा संख्याओं को चकबन्दी से बाहर रखा गया था। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध खसरा कागज सं० 133 सी1/5 पर भूमि को आबादी दर्शाया गया है। अतः वादी का वाद धारा 331 यू०पी० जेड०ए० एण्ड एल०आर० के अधिनियम एवं धारा 49 उ०प्र० जोत चकबंधी अधिनियम से बाधित नहीं है। अतः उपरोक्त समीक्षा एवं निष्कर्ष के आधार पर वाद बिन्दु सं० 3 व 4 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

41– <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 5</u>

5– क्या वादी का वाद विविन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त से बाधित है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में अभिकथन किया है कि उभय पक्षों के मध्य घरेलू बंटवारा हो चुका है, जिसके आधार पर उभय पक्ष अपने–अपने बंटवारे में मिले हिस्से पर काबिज हैं। इस कारण वादीगण पर विवन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त लागू होता है। इसके विपरीत वादीगण द्वारा अपने रिप्लीका कागज सं० 31 ए1 की मद सं० 5 में स्पष्ट रूप से अभिकथन किया है कि उक्त भूमि संख्या 374 व 375 का कोई भी घरेलू बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि इस भूमि में कब्जे के अनुसार वादीगण का अध्यासन है। इसके अतिरिक्त इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में अन्य कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः उपरोक्त समीक्षा एवं निष्कर्ष के आधार पर वाद बिन्दु सं० 5 वादीगण के पक्ष में तथा

प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

42– **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 6</u>**

6– क्या वादी का वाद प्रतिवादपत्र के मद सं० 18 के अभिकथन के आधार पर पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त वाद बिन्दु 1 में यह निष्कर्ष आया है कि वादीगण विवादित सम्पत्ति पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा मद सं० 18 में वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष न दिये जाने की याचना की गयी है, जिसका निस्तारण वाद बिन्दु 1 की समीक्षा के आधार पर किया जा चुका है। अतः इस प्रकार वाद बिन्दु सं० 1 की समीक्षा एवं निष्कर्ष के आधार पर इस वाद बिन्दु को निस्तारित किया जाता है।

43– **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 7</u>**

7– क्या वादी अन्य किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है।

उक्त वाद बिन्दु वादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। उपरोक्त समीक्षा एवं निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादीगण द्वारा अन्य किसी अनुतोष को प्राप्त करने के लिए कोई बल नहीं दिया गया है। इस प्रकार वादीगण अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद बिन्दु सं० 8 निर्णीत किया जाता है।

44– **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 8</u>**

8– क्या वादी का वाद 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है।

उक्त वाद बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। अपने प्रतिवादपत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण का अभिकथन है कि दावा वादीगण 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है, जिसका विरोध वादीगण द्वारा किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित होने के अंतर्गत अपने अभिवचन को बल देने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में वाद बिन्दु 8 बलहीन होने के कारण नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरुद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

45– **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 9</u>**

9– क्या वाद धारा 10 सी०पी०सी० के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थगित होने योग्य है ?

उक्त वाद बिन्दु को दिनांक 25.01.2007 को निस्तारित किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण इस निष्कर्ष के साथ किया गया कि वाद बिन्दु सं० 9 में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर इस वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है तथा आदेश दिनांकित 05.12.2017 को स्थगन खारिज कर पत्रावली साक्ष्य में नियत की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 15.07.2022 को द्वितीय अपील खारिज की गयी जिसके आदेश की प्रति पत्रावली पर दाखिल है। अतः वाद बिन्दु 9 निस्तारित किया जाता है।

46– **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं० 10</u>**

10– क्या वाद प्राग्डन्याय के सिद्धान्त से बाधित है ?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर विरचित किया गया, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया कि उक्त वाद धारा 11 प्राग्डन्याय (Res judicata) के सिद्धान्त से बाधित है। प्रतिवादीगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि वादीगण द्वारा पूर्व में इन्हीं पक्षकारों के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सं० 104/1989 योजित किया गया है, जो पूर्व न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ खारिज किया गया कि वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामित्व सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः उक्त वाद पोषणीय नहीं है। इसके विपरीत वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खण्डन किया गया तथा स्वंय को विवादित सम्पत्ति का मालिक व काबिज होने का कथन किया गया तथा यह भी कथन किया गया कि भिन्न प्रकार का हस्तक्षेप है, अतः वाद कारण भी भिन्न है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादी का पूर्ववर्ती वाद संख्या 104/1989 में न्यायालय द्वारा वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति पर स्वामित्व यानी मालिकाना हक नहीं पाया गया था तथा वादी सं० 1 गनपति सिंह द्वारा विक्रेता श्यामबिहारी पुत्र किशनलाल से उसके हिस्से की (विवादित सम्पत्ति का 1/20 भाग) सम्पत्ति का दिनांक 14.07.1995 को बैनामा के माध्यम से विवादित सम्पत्ति पर (श्यामबिहारी के हिस्से की सम्पत्ति) मालिकाना हक प्राप्त किया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी का विधिक चरित्र (Legal Capacity) परिवर्तित हो चुका है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में

कथन किया गया है कि वाद का कारण दिनांक 13.10.96 योम प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अध्यासन में हस्तक्षेप करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप की एक नयी तिथि व घटना का उल्लेख किया गया है, जिसके लिए एक नया वाद कारण (Cause of Action) उत्पन्न होता है। धारा 11 सी०पी०सी० के सिद्धान्त के अनुसार पश्चातवर्ती वाद में पक्षकार एक ही विधिक चरित्र (Legal Capacity) में होना अनिवार्य है, जबकि इस वाद में वादीगण का विधिक चरित्र सह खातेदार से बैनामा कराये जने के पश्चात परिवर्तित हो चुका है। पूर्ववर्ती वाद में वादी सं० 1 गनपति सिंह द्वारा मात्र अध्यासन के आधार पर वाद दाखिल किया गया था, जबकि बैनामा कराये जाने के पश्चात मालिकाना एवं अध्यासन के आधार पर यह उक्त वाद दाखिल किया गया है। पक्षकारों के मध्य विवादित विषय तथा विवाद्य (Matter in issue) प्रत्यक्षतः एवं सारतः स्पष्ट रूप से भिन्न है। अतः वाद प्राग्डन्याय के सिद्धान्त से बाधित नहीं है।

उपरोक्त समीक्षा के आधार पर वाद बिन्दु सं० 10 वादीगण के पक्ष में सकरात्मक रूप से तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

47– उपरोक्त विश्लेषण से तथा वादी की ओर से दाखिल मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः दावा वादी निरस्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

48– वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 06.05.2026

(मोहित कुमार)
सिविल जज जु०डि०/
जे०एम० जलेसर, एटा।
(JO Code-UP 4823)

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक 06.05.2026

(मोहित कुमार)
सिविल जज जु०डि०/
जे०एम० जलेसर, एटा।
(JO Code-UP 4823)